RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Second Appeal No. 252/2023
URN: CSA / 414U / 2023

Shrawan Kumar Gurjar S/o Lt. Shri Madho Singh

----Appellant

Versus

Late Shri Hanuman Sahay Gurjar S/o Late Shri Bhura Ram

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Pushpendra Sharma
For Respondent(s)	:	None Present

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

07/07/2026

S.B. Civil Misc. Application I.A. No. 1/2026 in Civil Second Appeal No. 252/2023:-

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 1/2026 पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–2 जयपुर महानगर में लंबित श्रवण सिंह गुर्जर बनाम हनुमान सहाय वाद पत्र संख्या 49/2013 में साक्ष्य के दौरान एग्रीमेंट दिनांक 03.11.2011 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–2 जयपुर महानगर प्रथम ने उक्त दस्तावेज मूल दस्तावेज नहीं होने के आधार पर उसे द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी है। अतः उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाए जाने की आवश्यकता होने से अपीलार्थी को लौटाया जावे।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अतः समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि मूल एग्रीमेंट दिनांक 03.11.2011 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो उक्त एग्रीमेंट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर और इस आशय की अंडरटेंकिंग प्रस्तुत करने पर कि जब भी

RAJASTHAN HIGH COURT

न्यायालय उक्त मूल एग्रीमेंट दिनांक 03.11.2011 को तलब करेगी तो अपीलार्थी उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देगा तो बाद रसीद नियमानुसार उक्त एग्रीमेंट अपीलार्थी को लौटा दिया जावे।

तद्नुसार उक्त प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI/53